न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. जेनाराम पुत्र लादाराम जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2. बालुदास पुत्र मंशाराम जाति साद रामावत निवासी कनाना, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. सकुदेवी पत्नी शंकरजी 2. गंगा पुत्री शंकरजी 3. मोनिका पुत्री शंकरजी जाति राजपुरोहित निवासी कानाना 4. पुरूषोतमदास पुत्र मशाराम जाति साद रामावत 5. मनोहरदास पुत्र मशाराम जाति साद रामावत 6. मुरलीधरदास पुत्र मशाराम जाति साद रामावत 7. श्यामदास पुत्र मशाराम साद रामावत निवासी कनाना, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 8. सुरजकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी कूंपावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा 9. तहसीलदार भूमिधारक पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 196 / 2023 बअनवान शंकर बनाम पुरूषोतमदास वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा कनाना के खेत खसरा संख्या 883 / 412 रकबा 4.8562 हैक्टयर अवस्थित रही हैं,। जिसमें वादी / रेस्पोडेंटस शंकरजी का 7 / 600 हिस्सा है। लेकिन संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा बंटवाड़ा नहीं होने के कारण भूमि की सीमाओं को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी अपने 7 / 600 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराना चाहता है। अपीलाधीन निर्णय व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विभाजन कार्यवाही में जो हिस्सा रेस्पाडेंटस संख्या 01 ता 03 के हकपूर्वाधिकारी वादी शंकर तथा प्रतिवादी संख्या 06 सुरजकंवर व प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 के हिस्से में रखा गया हैं, उस हिस्से में अपीलांट जेनाराम की ट्यूबवैल भी आती है। अपीलांटस जेनाराम के हकपूर्वाधिकारी बालुदास का विभाजन में जो हिस्सा रखा गया है उस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटस ने जिस समय नक्शे में हस्ताक्षर किये, उस समय नक्शे में विभाजन का कलर भरा हुआ नहीं था। अपीलांटस को आश्वस्त किया गया था कि जिस प्रकार मौके पर कब्जा, टयूबवैल अवस्थित है, उक्त बिंदू को ध्यान में रखकर विभाजन बाबत कलर नक्शे में भरा जायेंगा, ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो, किन्तु नक्शे में जो कलर भरा गया वो कब्जे की स्थिति के विपरीत था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई जिस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 24.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांटस जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 196/2023 बअनवान शंकर बनाम पुरूषोतमदारा वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2024 को यथावत रखा जाता है।

12/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर